

**राजस्थान सरकार**  
**स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग**  
**प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग**

क्रमांक: प.15(5)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 25/11/06

आयुक्त,  
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर।

**विषय:** राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 14 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2006-07 में संस्थान के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति इस शर्त के तहत प्रदान की जाती है कि ये संस्थाएं एनसीटीई/राज्य सरकार के नोर्स के अनुसार योग्य स्टाफ की नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि के एक माह में पूर्ण कर शर्त विहीन मान्यता प्राप्ति आदेश (Unconditional Recognition order) एनसीटीई से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगी अन्यथा संबंधित संस्थान का प्रकरण एनसीटीई को मान्यता समाप्ति के लिए अग्रोहित कर दिया जावेगा।

क.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1.	बाबा खेतनाथ महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भितेरा (बहरोड़) अलवर	एस.टी.सी.	50
2	भारतीय बालिका शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गोंव-शानीसालमसिंह (चौदपुरा) सीकर	एस.टी.सी.	50
3	तिलक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, त्रिवेणी नगर, जयपुर	एस.टी.सी.	50
4	वसुन्धरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, अचरोल, जयपुर	एस.टी.सी.	50
5	विवेक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, कालवाड़, जयपुर	एस.टी.सी.	50
6	सूरतगढ़ बी.एड. कॉलेज, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	एस.टी.सी.	50
7	मदर इण्डिया टीचर ट्रेनिंग स्कूल, खामपुर, झालावाड़	एस.टी.सी.	50
8	श्रृद्धालय जनजाति टीचर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूशन, रावतभाटा, चित्तोड़गढ़	एस.टी.सी.	50
9	श्री शिरडी साई बाबा गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर	एस.टी.सी.	50
10	श्री गंगानगर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	एस.टी.सी.	50

11	एकलव्य टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, टोंक	एस.टी.सी.	50
12	एस.एस.जेन सुबोध टी.टी. कॉलेज, सांगानेर जयपुर	एस.टी.सी.	50
13	एस.एस. सुबोध महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर	एन.टी.टी.	50
14	श्री अ. विद्यालय, जयपुर	एन.टी.टी.	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के अधीन पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

- 1 प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये। इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मन््यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
- 2 शैक्षिक सत्र 2006-07 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सेकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर, तैयार करीयता सूची के अन्वय पर किया जायेगा।
- 3 विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 4 पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
- 5 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

शासन उप सचिव  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)  
5.11.2006

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
- 4 क्षेत्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, विभागीय परीक्षाओं, राजस्थान, सांगानेर।
- 6 निजी सचिव, शासन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
- 7 निजी सचिव, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर जयपुर।
- 8
- 9

शासन उप सचिव  
5.11.2006

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा विभाग  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक: २४/६/०९

निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर।

विषय :- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 12 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2008-09 हेतु नियमानुसार काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	बी.आर. कावरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
2	श्रीमती रामकुमारी एलीमेन्ट्री टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गाँव पोस्ट - मुकुन्दगढ़, (चवलगढ़) झुझुनु	STC	50
3	के.एम.डी. भेगोरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, गाँव-तेजावाला, पंचायत-कपुरावाला (सांगानेर) जयपुर	STC	50
4	राधाकुम्भन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, थिंगला, सवाईमाधोपुर	STC	50
5	सरस्वती कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग, दोसा	STC	50
6	राजस्थान कॉलेज फॉर टीचर ट्रेनिंग, गडरीसर, बीकानेर	STC	50
7	वंश हायर एज्युकेशन इंस्टीट्यूट, NII-3, धौलपुर	STC	50
8	श्री अमरोन शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, रणजीत नगर, भरतपुर	STC	50
9	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, NII-3, धौलपुर	STC	50 सीट वृद्धि
10	श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भादरा, हनुमानगढ़	STC	50 सीट वृद्धि
11	सूरतगढ़ बी.एड. कॉलेज, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	STC	50 सीट वृद्धि
12	तिलक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज (फॉर वीमेन) त्रिवेणी नगर, जयपुर	STC	50 सीट वृद्धि

क्रमशः 2 पर

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी वर्णित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शैक्षिक सत्र 2008-09 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री-प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसरित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आश्रान राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।
6. एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति पश्चात् संस्था को छात्र आवंटन किये जावे।
  - (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
  - (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2005 के विनियम 7(12) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(10) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा शर्त विहित मान्यता आदेश जारी होने पर ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किये जाने का प्रावधान है, इसलिए इन संस्थाओं को कम संख्या 6 (i) पर अंकित शर्त की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।

शारान उप सचिव  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, शारान सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. फंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. संबंधित संस्था.....
7. रक्षित भन्नावली।

शारान उप सचिव

शारान उप सचिव  
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

F.NRC/NCTE/E-7/ 82/70

DC.14.11.2006

**ORDER**


The 16 (sixteen) institutions mentioned in table below submitted applications to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition to STC or equivalent course in terms of Section 15(1) of NCTE Act, 1993, among others.

2. The NRC at its 109<sup>th</sup> meeting (second sitting) and 110<sup>th</sup> meeting held on 10<sup>th</sup> November, 2006 and 11<sup>th</sup> - 12<sup>th</sup> November, 2006 at NCTE Hqs. New Delhi, considered applications of the institutions included in the Agenda for the meeting and after careful examination of relevant documents; Visiting Team Reports, Video Recording, Original File etc. found the institutions mentioned in table below fit for grant of recognition of the courses and intake mentioned against their names subject to the condition of appointment of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE/State Govt./Affiliating University/Body given effect before the commencement of the course etc..

S.No.	Name and address of the institution	Course	Intake
1	Vasundhara Mahila Shikshak Prashikshan Vidyalaya, NH-8, Achrol, Jaipur, Rajasthan. (RJ-690)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
2	Tilak Teacher Training School, Vishvesariya Nagar, Triveni Nagar, Jaipur, Rajasthan. (RJ-697)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
3	Shri Tajendra Prasad T.T. College, Danyav Talheta, Abu Road, Sirohi, Rajasthan. (RJ-701)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
4	Shri Shirdi Sai Baba Girls B.Ed. College, Kishangarh Renwal, Jaipur, Rajasthan. (RJ-710)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
5	Suratgarh B.Ed. College, National Highway No. 15, Suratgarh, Sri Ganganagar, Rajasthan. (RJ-713)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
6	Shradhalaya Janjati Teacher Training Institution, Near Eidgah, Adarsh Nagar, Rawal Bhata, Chittorgarh, Rajasthan. (RJ-722)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
7	Mother India Teacher Training School, Sarola Road, Khanpur, Distt. - Jhalawar, Rajasthan. (RJ-739)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
8	S.S.Jain Subodh T.T. College, Airport Road, Sanganeer, Jaipur, Rajasthan. (RJ-740)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.
9	Eklavya Teachers Training School, Near Circuit House, Civil Lines, Tonk, Rajasthan. (RJ-749)	STC	50 seats in the 1 <sup>st</sup> year and the same for 2 <sup>nd</sup> year.

Contd. 2..

5. The order of recognition for every institution shall follow separately.
6. If any of the institutions contravene any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and / or order made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17 (1) of the NCTE Act, 1993. The NCTE Hqrs. may also cause inspections under Section 13 of NCTE Act, 1993.

  
(Dr. B. Krishna Reddy)  
Regional Director

To,

✓ All the institutions concerned.

Copy to :-

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Education Secretary, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
3. The Director, Secondary Education, Government of Rajasthan, Bikaner, Rajasthan.
4. The Director, SCERT, Govt. of Rajasthan, Udaipur, Rajasthan - To ensure compliance of the para 4(a) & (e) of the recognition order.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi - 110002.
6. The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi - 110002.
7. Computer Cell, NRC, Jaipur.

Regional Director





गुरुर्गुरुतमो धाम  
NCTE

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**  
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

**Northern Regional Committee**

**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद**

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

**उत्तर क्षेत्रीय समिति**

F.NRC/NCTE/F-7/RJ-1380/2008

APN 0 5 0 0 0

49619

Date: 4 MAY 2008

**TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY  
ORDER**

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993 **Tilak Teacher Training College (for women), Vishveshwariya Nagar, Triveni Nagar, Gopalpura Bye Pass, Jaipur, Rajasthan** has submitted an application (code No. 05000) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for **STC Course** of two year duration with an additional intake of **50 (Fifty Only)** students.

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to **Tilak Teacher Training College (for women), Vishveshwariya Nagar, Triveni Nagar, Gopalpura Bye Pass, Jaipur, Rajasthan** for conducting **STC Course** of two year duration with an additional intake in existing STC course of 50 (Fifty Only) (one unit), thereby making the total intake of the institution to 100 (One Hundred only) (Two Unit) under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfillment of the following:

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.



Principal  
**Tilak T. T. College (For Women)**  
Triveni Nagar, Gopalpura Bypass  
JAIPUR-302018

Cont....2

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)  
दूरभाष : उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान  
Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No. : 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
Jurisdiction : U.P., Uttarakhand, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan  
E-mail : nrc@ncte-in.org • Website : http://www.nrcncte.org, www.ncte-in.org

\*\*\*\*\*

::02::

6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
7. The institution shall maintain & update the Website as per provisions of NCTE Regulations.
8. The staff appointed is to be rectified by the University and the copy of same is to be submitted to this office for records.

By order,

(Dr. Ajit Singh Rana)  
Regional Director


To,

The Manager to Govt. of India  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, **Tilak Teacher Training College (for women), Vishveshwariya Nagar, Triveni Nagar, Gopalpura Bye Pass, Jaipur, Rajasthan.**
2. The Secretary, Education, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
3. The Director, **SCERT, Sahelion Ki Badi, Udaipur, Rajasthan.**
4. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.
5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner (Rajasthan).
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. Office order file/Institution file.



  
(Regional Director)

**NCTE • NRC • JAIPUR**

A004153